



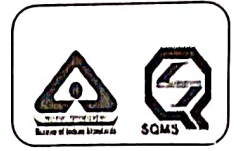
# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

### निर्माण खण्ड-बुन्देलखण्ड-01

#### बी-1 तालपुरा योजना, झाँसी

Email ID- upavp.jhs@gmail.com



पत्र सं०.....679

/ नि०ख०, बुन्देलखण्ड-1 / AC-9/22

दिनांक... 28/04/2025

#### ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से जनपद झाँसी के बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत समान कार्य के अनुभवी ठेकेदारों से टू बिड पद्धति द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है एवं निम्नांकित विवरण के अनुसार निविदा खोली जायेगी। निविदादाता स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते हैं। निविदा प्रकाशित होने के बाद <https://etender.up.nic.in> पर निविदा का समस्त विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होगा। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोलने हेतु निर्धारित तिथि की सूचना वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। वित्तीय बिड का परिणाम भी <https://etender.up.nic.in> पर आन-लाइन उपलब्ध रहेगा।

| क्र० सं० | कार्य का विवरण                                                                                                                                      | अनुमानित लागत (रु० लाख में) | धरोहर धनराशि (रु० लाख में) | ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य / फीस | कार्य पूर्ण करने की अवधि |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                   | 4                           | 5                          | 6                               | 7                        |
| 1        | जनपद झाँसी के बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी में आउटडोर स्टेडियम में टेनिस कोर्ट एवं हाईमास्ट लाइट का कार्य एवं कर्मचारी आवासों का निर्माण कार्य। | 458.42                      | 9.17                       | 6000+ 18% GST                   | 12 माह                   |
| 2        | जनपद झाँसी के बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी में कृषि विज्ञान संस्थान भवन में लैब एवं क्लास रूम का रेनोवेशन का कार्य।                             | 194.19                      | 3.89                       | 4500+ 18% GST                   | 12 माह                   |
| 3        | जनपद झाँसी के बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी में आवासीय परिसर की बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत एवं बारबेड वायर का कार्य।                                 | 171.41                      | 3.43                       | 4500+ 18% GST                   | 12 माह                   |

#### महत्वपूर्ण तिथियाँ :-

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Document Download Start Date | दि० 02.05.2025 समय सायं 05:00 बजे।                    |
| Document Download end Date   | दि० 31.05.2025 समय अपरान्ह 03:00 बजे।                 |
| Bid Submission Start Date    | दि० 02.05.2025 समय सायं 05:00 बजे।                    |
| BidSubmission/Closing Date   | दि० 31.05.2025 समय अपरान्ह 03:00 बजे।                 |
| Technical Bid Opening Date   | दि० 31.05.2025 समय अपरान्ह 03:30 बजे।                 |
| Financial Bid Opening Date   | तकनीकी बिड के परीक्षणोपरान्त वित्तीय बिड खोली जायेगी। |

#### धरोहर धनराशि एवं ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा करने हेतु खाते का विवरण

|   |                       |                                            |
|---|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1 | खाता धारक का नाम :-   | E.E.C. D. BUNDELKHAND-01 U.P.A.V.P. JHANSI |
| 2 | बैंक का नाम / शाखा :- | ICICI BANK, Medical road, Jhansi           |
| 3 | बचत खाता संख्या :-    | 473801000027                               |
| 4 | आई.एफ.एस.सी. कोड :-   | ICIC0004738                                |

#### ई-निविदा के संबंध में नियम व शर्तें :-

- निविदा से संबंधित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग-अलग आर.टी.जी.एस. के माध्यम से निर्धारित तिथि व समय तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा (Credit) करना आवश्यक है। यदि किसी ठेकेदार/ फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है, तो भी निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि व स्थायी धरोहर धनराशि (परिषद में) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ उपर्युक्त रूप में देय होगी। खाते का विवरण उपरोक्तानुसार है।
- निविदा से संबंधित प्रोसेसिंग फीस व धरोहर धनराशि अलग-अलग आर.टी.जी.एस. के माध्यम से उक्त विवरण के अनुसार निर्धारित बैंक खातों में जमा (Credit) की जायेगी। नियत तिथि व समय तक खाते में उक्त वांछित धनराशि जमा (Credit) होने की पुष्टि न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों की जनरल सिक्योरिटी होने पर धरोहर धनराशि में नियमानुसार छूट देय होगी।

3. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद धरोहर धनराशि का भुगतान किया जाना मान्य नहीं होगा, तथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. वित्तीय निविदा खोलने की तिथि, तकनीकी बिड में सफल निविदाओं को अपलोड करने के उपरान्त सूचित किया जायेगा।
5. निविदा प्रपत्र /धरोहर धनराशि के मूल्य से संबंधित आर.टी.जी.एस. के यू.टी.आर. के नम्बर की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
6. शासनादेश संख्या 36/2025/381/सत्तर-4-2025-001-70-4099/22/2025 उच्च शिक्षा अनुभाग-4 दि० 31.03.2025 में अंकित नियम एवं शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन किया जायेगा।
7. ई-निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। ई-निविदा डाउनलोड/अपलोड भी इसी वेबसाइट से किया जायेगा। सक्षम सेवा प्रदाता से उपलब्ध कराये गये डिजिटल सिगनेचर धारक ठेकेदारों द्वारा ही आनलाईन निविदा डाली जा सकती है।
8. निविदा की वैधता ई-निविदा खुलने की तिथि से कम से कम 03 माह की होगी, जिसके लिए निर्धारित ई-निविदा के साथ रू० 100.00 का नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर रू० 1.00 का रेवेन्यू स्टाम्प हस्ताक्षरित ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
9. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें, बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
10. कार्य की मात्रा किसी भी सीमा तक कम या अधिक हो सकती है, जिसके लिए निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
11. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबंध गठन हेतु नवीनतम शासनादेशानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। अनुबंध गठन के समय रू० 100.00 के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
12. उ०प्र० शासन के नवीनतम शासनादेश के अनुसार कार्यों के डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि अन्तिम बीजक अथवा संबंधित विभाग को हस्तगन तिथि से जो भी पहले हो की तिथि से तीन वर्ष होगी।
13. निविदा के बी.ओ.क्यू. की दरों में जी.एस.टी. सम्मिलित नहीं है। जी.एस.टी. के अलावा अन्य कर जैसे लेबर सेस, रायल्टी, इन्कम टैक्स इत्यादि सम्मिलित है जिसकी कटौती नियमानुसार भुगतान से कटौती की जायेगी।
14. निविदाओं से संबंधित अन्य नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस पर अधिशासी अभियन्ता, नि०ख०-बुन्देलखण्ड-01, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, बी-1, तालपुरा योजना, झासी के कार्यालय से देखी जा सकती है। निविदाओं की सूचना परिषद की वेबसाइट [www.upavp.in](http://www.upavp.in) पर देखी जा सकती है।
15. समस्त कार्य उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की विशिष्टियों के अनुसार किया जायेगा।
16. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक बारचार्ट के अनुसार प्राप्त की जायेगी। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूम्यूलेटिव प्रगति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी अन्यथा अनुबंध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
17. निविदादाता/फर्म को आयकर विभाग, श्रम विभाग एवं जी.एस.टी. में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रमाणित प्रति ई-निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक है तथा उनके सभी देयको से आयकर, एवं अन्य कर जो राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये जाते हैं, की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
18. ई-निविदा स्वीकृति/अनुबंध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि संबंधित निविदादाता अथवा उसका प्रतिनिधि सक्रिय रूप से भू-माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा, तथा उसे प्रदान किया गया अनुबंध/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा उसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी। परफोरमेंस गारंटी की ई-निविदा स्वीकृति के पूर्व जमा करना होगा।
19. उ०प्र० शासन के लोक निर्माण अनुभाग-2 पत्र संख्या-622/23-2012-2 आडिट/08 टी दिनांक 08.06.2012 तथा समविषयक आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय के पत्रांक-1282/एम.-2/ दिनांक 02.04.2013 के अन्तर्गत 10प्रतिशत कम दरों तक 0.5प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर तथा 10प्रतिशत से अधिक कम दर पर 01प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्वोरिटी/परफार्मेंस गारन्टी एफ.डी.आर./सी.डी.आर. के रूप में जो कार्य की वास्तविक समापन तिथि तक वैध हो (समयवृद्धि प्रदान किये जाने की दशा में भी) जमा के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। शासनादेश में निहित प्रक्रिया के अनुसार अवमुक्त की जायेगी।
20. उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। अतः ई-निविदा स्वीकृति एवं अनुबंध गठन के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
21. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों पर स्वप्रमाणित कर हस्ताक्षर करने होंगे, निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों को गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा, यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबंध गठन के पश्चात् होती है तो अनुबंध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए ठेकेदार को काली सूची में डाला जायेगा। सुसंगत धाराओं में एफ.आइ.आर. दर्ज करायी जायेगी।
22. निविदादाता को ई-निविदा स्वीकृत की दशा में अनुबंध पूर्व ई-निविदा के अनुसार कार्य की कुल लागत का 10.00 प्रतिशत (10प्रतिशत) सिक्वोरिटी धनराशि एफ०डी०आर०/सी०डी०आर० के रूप में, अधिशासी अभियन्ता, नि०ख०-बुन्देलखण्ड-01, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, बी-1, तालपुरा योजना, झासी के पक्ष में बन्धक बनाकर जमा करनी होगी अथवा ई-निविदा स्वीकृत अधिकारी द्वारा अनुमन्य सीमा तक जमा करनी होगी।
23. आवश्यकतानुसार अथवा उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के समय सैम्पल बाह्य संरंथान/लैब से कराने पर आने वाले व्यय की कटौती देयकों से की जायेगी।
24. निविदादाता/फर्म की निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुसार रायल्टी हेतु फार्म एम.एम-11/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी। शासनादेश संख्या-3385/86-2015-292/2015 दि० 15.10.15 के अनुपालन में फर्म/निविदादाता नियमानुसार रायल्टी जमा नहीं करते हैं तो निर्धारित रायल्टी का पांच गुना फर्म/निविदादाता के देयक से वसूली की जायेगी।
25. वर्तमान में कार्य कर रहे जिन ठेकेदारों के कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है तथा जिनके द्वारा कार्य पूर्ण न करने अथवा अन्य कारणों से डेबिटिविल एजेंसी लगायी गयी है अथवा प्रस्तावित है, की निविदा अयोग्य मानते हुए निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

*(Signature)*



26. यदि किसी कारणवश ई-निविदा सूचना में उल्लिखित तिथियों को अवकाश हो जाता है तो ई-निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
27. कराये जाने वाले कार्यों में मौके की स्थिति के अनुसार कार्य स्थल एवं कार्य की मात्रा/मदों में आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है। जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
28. सशर्त ई-निविदा मान्य नहीं होगी।
29. कार्य/अनुबंध का अन्तिम बीजक का निस्तारण कार्य की गुणवत्ता की जांच उपरान्त एवं कार्य को संबंधित विभाग को हस्तगत के उपरान्त ही नियमानुसार किया जायेगा।
30. ठेकेदार ई-निविदा डालने से पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण यथा पहुँचमार्ग, पानी की उपलब्धता इत्यादि का आंकलन व निरीक्षण स्वयं भली-भाँति आवश्यक रूप से कर ले, इस संबंध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
31. ई-निविदा में ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र/दस्तावेजों के सत्यापन हेतु निविदा की बिड खोलने के उपरान्त आवश्यकतानुसार मूल प्रति कमेटी द्वारा परीक्षण हेतु मांग की जा सकती है।
32. कराये गये कार्य के सापेक्ष भुगतान शासन से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त किया जायेगा। शासन स्तर से धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में भुगतान के विलम्ब से संबंधित कोई दावा / क्लेम मान्य नहीं होगा।
33. दीमकरोधी उपचार, विद्युत संबंधी कार्य एवं फायर फाइटिंग व अन्य आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से फर्म द्वारा स्वयं उपलब्ध कराया जाना होगा।
34. समस्त कार्य शासन/जिला प्रशासन/परिषद द्वारा किसी भी महामारी अथवा निर्गत अन्य आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन शत-प्रतिशत किया जायेगा। जिस हेतु कोई अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।
35. कार्य में प्रयुक्त सामग्री/कार्य की गुणवत्ता की जांच हेतु कार्यस्थल पर क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल के अनुरूप "क्वालिटी कंट्रोल लेब" नियमानुसार स्थापित करनी होगी।

पृष्ठांकित:-

679

/ उपरोक्तानुसार/AC-9/22

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निदेशक, ग्लोबल सेल कन्सल्टेशन एवं कन्सलटेंसी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
3. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटर सेल, लखनऊ को इस आशय से कि कृपया निविदा सूचना परिषद की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
4. नोटिस बोर्ड।

अधिशासी अभियन्ता  
दिनांक 28.04.2023

अधिशासी अभियन्ता